कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3103 /2021/रायगढ़, दिनांक – 25 05 2021

प्रति,

Chief General Manager,
NTPC Talaipali Coal Mining Project,
Lailunga Road Gharghoda
Raigarh (C.G.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining of NTPC Limited area- 8.795 ha. regarding.**

संदर्भ:– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.–एफ.सी.–2/आर.ओ.सी.एच.–04/एन.जी.पी./19 दिनांक 31.03.2021

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/कैम्पा/115–25/1048 रायपुर दिनांक 19.05.2021

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./2064 रायगढ़ दिनांक 05.04.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली कोल मांइनिंग द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project हेतु कुल क्षेत्र 8.795 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक–1 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो (i से xxiii) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

1) संदर्भित पत्र क्रमांक–3 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर अप्रैल 2020 में देय दर अनुसार लागत राशि रूपये प्रति हेक्टेयर 7,26,270/– की दर से दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 17.589 हे. का राशि रूपये 12775090/– (रूपये एक करोड़ सताइस लाख पछहत्तर हजार नब्बे रुपये) जमा करने हेतु लेख किया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु नवीन दर 7,98,897 निर्धारित किया गया है। अतः अंतर की राशि रुपये 12,77,508 (बारह लाख सतहत्तर हजार पांच सौ आठ) मात्र जमा करें।

2) संदर्भित पत्र क्रमांक–3 के माध्यम से दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर अप्रैल 2020 में देय दर अनुसार लागत राशि रूपये प्रति हेक्टेयर 7,26,270/– की दर से रकबा 1.400 हे. का राशि रूपये 1016778/– (रूपये दस लाख सोलह हजार सात सौ अठहत्तर रुपये) जमा करने हेतु लेख किया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु नवीन दर 7,98,897 निर्धारित किया गया है। अतः अंतर की राशि रुपये 1,01,678 (एक लाख एक हजार छः सौ अठहत्तर) मात्र जमा करें।

3) सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक III के पालन में आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गाड़कर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु राशि रु. 15,32,819 (पन्द्रह लाख बत्तीस हजार आठ सौ उन्नीस) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

4) वृक्ष विदोहन की राशि योजना अनुसार 5,74,300 (पांच लाख चौहत्तर हजार तीन सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

बिन्दु क्रमांक 01, 02 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई–पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 3104 /2021/रायगढ़, दिनांक – 25.05.2021

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/115–25/1049 रायपुर, दिनांक 19/05/2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

छत्तीसगढ़

विषयः – क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दरों का वर्ष 2021–22 में पुनरीक्षण।

संदर्भः 1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/1626/2002 दिनांक 19.03.2002

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रवंध/ कैम्पा/एल.एम–25/ 996 दिनांक 26.05.2020

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गत वर्ष की असिंचित दर रू. 2,06,591/– एवं सिंचित रू. 7,26,270/– में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए असिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 2,49,975/– प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 7,98,897/– प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की जाती है।

1. तदानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 7,98,897/– प्रति हेक्टेयर की दर से प्रस्ताव तैयार करना एवं राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियॉ एवं आस्था मूलक कार्यो का प्रावधान परियोजना में किया जावे।

2. असिंचित दर केवल उन्ही पुराने प्रकरणों हेतु है जिनमें पूर्व में प्रस्ताव असिंचित दर से तैयार हुए है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर भारत सरकार को जा चुके है।

शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/ 115–25/1049 रायपुर, दिनांक 19/05/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
– मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), छत्तीसगढ़, रायपुर।
– समस्त शाखा प्रभारी, भू–प्रबंध प्रभाग को पालनार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

-154-Letter Vividh 2021 (1)